झारखण्ड सरकार

वन एवं पर्यावरण वभाग

झारखण्ड काष्ठ तथा अन्य वन उत्पादन (अ भवहन का वनियमन) नियमावली 2004

अ धसूचना

राँची, दिनांक-21.06.2004

संख्या-रा0व्या-11/2000-2402 व0प0, भारतीय वन अ धनियम, 1927 (16, 1927) की धारा 41, 42 एवं 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और इस वषय पर सभी पछले नियमों को अवक्र मत करते हुए झारखण्ड राज्यपाल राज्य के भीतर काष्ठ (टिम्बर) वीनीयर, प्लाईवुड, जलावन की लकड़ी, चारकोल, सवई घास, कत्था, गोंद और राल (रेसीन) फल, बीज और फल, जड़, छाल एवं अन्य वन उत्पाद जिसे राज्य सरकार समय-समय पर अ धसू चत करें, के सड़क, रेल और वायु मार्गों से अ भवहन तथा उससे आनुषं गक अन्य वषयों का वनियमन करने के लए निम्न नियमावली बनाते हैं:-

1. सं क्षप्त नाम यह नियमावली ''झारखण्ड काष्ठ तथा अन्य वन उत्पादन (अ भवहन का वनियमन) , नियमावली, 2004'' कही जा सकेगी।

2. यह नियमावली सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में अ धसूचना निर्गत की ति थ से प्रभावी होगी।

3. परिभाषाएँ: इस नियमावली में -

(क) 'काष्ठ' से अ भप्रेत है लकड़ी का कोई टुकड़ा, जो ईंधन के रूप में भन्न प्रयोजनों के लए व्यवहृत कए जाने के लए अ भप्रेत हो या जो सामान्यतः व्यवहृत होता हो, खासकर सभी चीरी गयी लक ड़याँ, चाहे वे कसी भी जाति के वृक्ष या कसी भी आकार की हो अथवा कसी भी प्रयोजन के लए कुल्हाड़ी या कसी अन्य औजार से काट या छीलकर तैयार की गई हो , या मोटे छोर पर छाल छोड़कर नापने से जिसका व्यास 7 सेन्टीमीटर से अ धक हो। काष्ठ के अंतर्गत बाँस एवं केन भी है।

(ख) 'जलावन' की लकड़ी से अ भप्रेत है काष्ठ से भन्न लकड़ी के ऐसे टुकड़े, जो जलाने से भन्न कसी प्रयोजन के लए उपयुक्त न हो।

(ग) 'सवई घास' के अंतर्गत सवई घास से बनी डोरियाँ या रस्सियाँ भी हैं।

(घ) 'कत्था' से अ भप्रेत है कत्था और खैर के पेड़ों के अन्तः काष्ठ (सारिल) से निकाले गए सभी प्रकार के पदार्थ।

(ड.) 'गोंद और राल' से अ भप्रेत है सलई, पयार, केंवझी, बीजा, बबूल, खैर, साल, धवठा और ऐसे अन्य जाति के पेड़ का प्राकृतिक निश्राव जिसे राज्य सरकार समय-समय पर अ धसू चत करें।

(च) 'बीज और फल' से अ भप्रेत है साल के बीज , चाहे वे पांख (वींग) सहित हों या रहित अथवा उसका छिलका उतारी हुई, गरी तथा आंवला, हर्रे, बहेरा, कुसुम, पयार के बीज की गरी महुआ बीज, आकाशझोनी, (अके शया और कुलीफो मस) और ऐसे अन्य फल और जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर अ धसू चत करें।

(छ) 'जड़' से अ भप्रेत है सर्पगंधा, अनंतमूल, खैर एवं ऐसे अन्य पादपों की जड़ जिसे राज्य सरकार समय-समय पर अ धसू चत करें।

(ज) 'छाल' से अभप्रेत है सोनारी की छाल (कैसया फसचुला की छाल), अर्जुन और महुलान (बोहिनियाँ जाति) की छाल एवं इसके छाल से बनी रस्सियाँ तथा ऐसी अन्य प्रजातियों की छाल जिसे राज्य सरकार समय-समय पर अधसूचत करें।

(झ) 'वाहन' के अंतर्गत है, वे सभी मोटर चालत या अन्य प्रकार से चालत प्रणालयाँ , जो काष्ठ तथा अन्य वन उत्पादन को सड़क, रेल, जल या वायु मार्ग से लाने ले जाने के लए व्यवहार में लायी जाती हैं।

(ट) ' वनियर' का अर्थ है लकड़ी की ऐसी छिली पट्टी जिसकी मोटाई 10 म0मी0 से अधक हो।

(ठ) 'प्लाईवुड' का अर्थ है लकड़ी की ऐसी छिली हुई पट्टी जिसकी मोटाई 10 म0मी0 से अधक हो अथवा लकड़ी की परतों या वनियर एवं अन्य पादन सामग्री को चपकाकर या बनायी गयी समतल पट्टी।

(ड) 'वन चेक पोस्ट' का अर्थ है नियम के तहत काष्ठ एवं अन्य वन उत्पाद की जाँच के लए स्थापत चेक पोस्ट।

(ढ़) भारतीय वन अधनियम , 1927 एवं भारतीय वन (बिहार संषोधन) अधनियम , 1989 में अंकत अन्य भी परिभाषाएँ इस नियमावली के लए लागू समझी जायेंगी।

4. वन उत्पादन का आयात, निर्यात या हटाया जाना:- कोई भी काष्ठ, वनियर, प्लाईवुड, जलावन की लकड़ी, चारकोल, सवई घास, कत्था, गोन्द और राल, बीज और फल, जड़ और छाल कसी स्थान पर तब तक न आयात हो सकेगा और वहाँ से निर्यात कया या हटाया जा सकेगा , जबतक क इस नि मत एक लखत परिवहन अनुज्ञा-पत्र (ट्रांजिट पर मट) नियम-'5' के अधीन वन प्रमंडल पदाधकारी या उनके द्वारा प्राधकृत पदाधकारी से पहले से प्राप्त नहीं कया गया है।

5. अनुज्ञा-पत्र का निर्गत कया जाना:-

1. राज्य की सीमा के भीतर काष्ठ या अन्य वन उत्पादन के परिवहन हेतु वहित शुल्क लेकर परिवहन अनुज्ञा-पत्र इस नियमावली की अनुसूची- 'क' के प्रपत्र- '1' में जारी कया जा सकेगा।

2. राज्य की सीमा से बाहर काष्ठ या अन्य उत्पाद के परिवहन हेतु वहित शुल्क लेकर परिवहन अनुज्ञा-पत्र इस नियमावली की अनुसूची- 'क' के प्रपत्र-'2' में जारी कया जा सकेगा , परन्तु इस नि मत परिवहन अनुज्ञा-पत्र निर्गत करने हेतु वन प्रमंडल पदाधकारी द्वारा वनों के क्षेत्र पदाधकारी के निम्न स्तर के पदाधकारी को प्राधकृत नहीं कया जा सकेगा।

3. यदि अन्य राज्य से काष्ठ या अन्य वन उत्पाद झारखण्ड राज्य की सीमा में प्रवेष करती है तो अन्य राज्य के द्वारा निर्गत परिवहन अनुज्ञा-पत्र झारखण्ड राज्य की सीमा पर स्थापत वन चेक पोस्ट पर जमा कर देना होगा। उसके बदले में इस वन चेक पोस्ट के प्रभारी पदाधकारी द्वारा वहित शुल्क लेकर इस नियमावली की अनुसूची 'क' के प्रपत्र-'3' में नया परिवहन अनुज्ञा-पत्र जारी कया जा सकेगा। इस नि मत परिवहन अनुज्ञा-पत्र निर्गत करने हेतु वन प्रमंडल पदाधकारी वन चेक-पोस्ट के प्रभारी पदाधकारी को प्राधकृत कर सकेंगे।

4. इस नियमावली के अधीन निर्गत कये जा सकने वाले सभी परिवहन अनुज्ञा-पत्र मात्र एक प्रति में निर्गत पदाधकारी के हस्ताक्षर तथा तिथ के साथ निर्गत कये जा सकेंगे। दूसरी प्रति कार्यालय प्रति हो सकेगी। परिवहन अनुज्ञा-पत्र के उपयोगकर्ता द्वारा मूल प्रति उपयोग के कम से कम छः माह तक सुरक्षत रखना होगा और इस अवध में वनपाल (फोरेस्टर) एवं उनसे वरीय पदाधकारी द्वारा माँगे जाने पर निरीक्षण के लए प्रस्तुत करना होगा।

5. काष्ठ एवं अन्य वन उत्पाद ढोनेवाली प्रत्येक वाहन के लए अलग-अलग परिवहन अनुज्ञा-पत्र निर्गत हो सकेगा।

6. काष्ठ एवं अन्य वन उत्पाद मोटर चा लत, वाहन से होने की दशा में प्रत्येक परिवहन अनुज्ञा पत्र की पीठ पर निर्गत पदा धकारी से भन्न कसी वन पदा धकारी द्वारा हस्ताक्षर ति थ एवं समय अं कत करते हुए यह प्रमाण-पत्र अं कत करना होगा क काष्ठ का लादान उनके समक्ष कया गया है। परन्तु यह उपबंध नियम- '5' के उप नियम (3) के अधीन निर्गत परिवहन अनुज्ञा-पत्र के लए लागू नहीं होगा।

6. अनुज्ञा-पत्र की जाँच

1. एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच पारगमन के क्रम में काष्ठ या अन्य वन उत्पादन कसी भी स्थान पर कसी वन पदा धकारी या आरक्षी वभाग के अवर निरीक्षक एवं उनसे वरीय पदा धकारी के द्वारा जाँचा जा सकेगा और नियम- '4' में वनिर्दिष्ट परिवहन अनुज्ञा-पत्र इस पदा धकारी द्वारा माँगे जाने पर दिखाया जायेगा।

2. वन प्रमंडल पदा धकारी, झारखण्ड बजट में अ धसूचना द्वारा अपने क्षेत्रा धकार में वन चेक पोस्ट (जाँच नाका) की स्थापना करा सकेगा, तथा इन मार्ग/मार्गों की भी वनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिनसे होकर इस नियमावली के काष्ठ या अन्य वनोपज एक स्थान से दूसरे स्थान तक हटाया जा सकेगा। इस प्रकार स्था पत चेक पोस्ट पर काष्ठ या अन्य वनोपज ढ़ो रहे वाहन की वन चेक पोस्ट पर पेषी उपबं धत करने के आषय से इस मार्ग , जिस पर वन चेक पोस्ट स्था पत है, को छोड़कर या इससे बच निकलकर इसे ले जाना व धपूर्ण नहीं होगा।

3. वन पथों पर अवस्थित वन चेक पोस्ट साधारणतः सूर्यास्त के एक घण्टा पश्चात् से लेकर सूर्योदय तक बंद कये जा सकेगें और बंद रहने की दशा में वन चेक पोस्ट पार करना व धपूर्ण नहीं होगा।

4. (क) पारगमन होते काष्ठ या अन्य वन उत्पाद की जाँच होने के पश्चात् जाँच करने वाले पदा धकारी अथवा वन चेक पोस्ट के प्रभारी पदा धकारी ऐसा उत्पादन ठीक पाये जाने की दशा में परिवहन अनुज्ञा-पत्र की पीठ पर समय एवं ति थ सहित अपना पूरा नाम हस्ताक्षर एवं पदनाम पृष्ठां कत कर देगा और पारगमन जारी रखने की अनुमति दे सकेगा। वन चेक पोस्ट पर की गयी जाँच के बाद पारगमन जारी रखने की अनुमति की दशा में वन चेक पोस्ट के प्रभारी द्वारा संधारित पंजी में परिवहन अनुज्ञा-पत्र के ववरण की प्र वष्टि पारगमन के समय एवं ति थ के साथ कर दी जायेगी।

(ख) उपर्युक्त प्रकार से जाँच के दौरान उत्पादन परिवहन अनुज्ञा-पत्र में लखे परिमाप से बढ़ जाय या वर्णन से भन्न हो जाय, तथा काष्ठ की दशा में सम्प्रति चन्ह भन्न हो जाँच पदा धकारी वाहन सहित उत्पादन परिवहन अनुज्ञा-पत्र तथा पारगमन से संबं धत व्यक्तियों को रोककर भारतीय वन अ धनियम , 1927 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जप्ती एवं गरफ्तारी की कार्रवाई कर सकेगा।

7. सम्प त्त चन्ह का रजिस्ट्रीकरण :-

1. काष्ठ की दशा में कसी स्थान से इसका निर्यात या हटाये जाने के दौरान इसका स्वा मत्व सम्प्रति चन्ह द्वारा दर्षाया जायेगा, परन्तु काष्ठ से भन्न, वन उत्पाद पर कोई सम्प्रति चन्ह अपे क्षत नहीं होगा। बाँस और केन (बेंत) पर भी सम्प्रति चन्ह अपे क्षत नहीं होगा।

2. सभी सम्प त्त चन्ह वन प्रमंडल पदा धकारी के कार्यालय निबं धत में होगें।

3. सम्प त चन्ह के निबंधन के लए वहित शुल्क लया जाएगा। यह शुल्क सरकारी कोषागार में उ चत शीर्ष के अधीन जमा कया जायेगा।

4. सम्प त चन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लए आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकरण शुल्क सम्प त चन्ह की पाँच प्रतिकृतियाँ (फै समाईल) दी जायेगी। इसमें काष्ठ के उद्गम की व षष्टियाँ, लगभग परिमाण, गंतव्य स्थान और ले जाये जाने का मार्ग बताये रहेगें।

5. यदि वन प्रमंडल पदा धकारी समझें क ऐसे सम्प त चन्ह और सरकारी या अन्य सम्प त चन्ह के बीच भेद नहीं कया जा सकता अथवा कसी अन्य कारण से जो अ भ ल खत कर दिए जायेगें , वह रजिस्ट्रीकरण से इन्कार या इसे रद्द कर सकता है।

8. रैयती भू म पर उगे वृक्षों से प्राप्त काष्ठ हटाने की प्र क्रया:- अपनी रैयती भू म पर उगे वृक्षों के काष्ठ परिवहन के लए कसी रैयत को नियम- 5 के अधीन परिवहन अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के लए निम्नवत् प्र क्रया होगी। इस गजट की अ धसूचना की ति थ के पश्चात् रैयती भू म पर उगे वृक्ष के पातन के पूर्व काष्ठ के परिवहन के लए रैयत द्वारा इस प्र क्रया के उल्लंघन में ऐसे काष्ठ का परिवहन व ध मान्य नहीं होगा।

1. ऐसी भू म के रैयत जिनका नाम राजस्व पंजी में दर्ज है , एवं अपनी रैयती भू म पर खड़े वृक्षों पर पातन एवं निष्कासन हेतु इच्छुक हो, इस नियमावली की अनुसूची-'ग' में अं कत प्रपत्र-'1' में एक आवेदन राजस्व वभाग के संबं धत अंचल पदा धकारी को दे सकेगें। अंचल पदा धकारी इस बिन्दु पर जाँच कर एक माह के अंदर अश्वस्त हो सकेगें क आवेदनकर्ता व र्णत भू म के वास्त वक रैयत है एवं तत्पष्चात् आवेदित भू म पर खड़े आवेदित वृक्षों पर क्रमांक अं कत करते हुए राजस्व अंचल कार्यालय में इस हेतु उपलब्ध सम्प त चन्ह वाला हथौड़ा प्रत्येक वृक्ष के तना पर जमीन से क्रमषः 15 से0मी0 एवं 120 से0मी0 की ऊँचाईयों पर अं कत करने के पश्चात् प्रपत्र- '1' में आवेदित वृक्षों के जमीन से 120 से 0मी0 ऊँचाई पर तनों की छाल सहित मापी सूची के साथ आवेदन की जाँचोपरान्त अनुशंसा संबं धत वन प्रमंडल पदा धकारी कार्यालय को सम र्पत कर सकेगें जो इस संबं धत वनों के क्षेत्र पदा धकारी को अग्रसारित कर सकेगें।

2. वनों के क्षेत्र पदा धकारी आवेदन में दी गई सूचनाओं की जाँच कराकर अन्य के अतिरिक्त यह आष्वस्त होकर क अमुख वृक्ष वन सीमा के बाहर है प्रपत्र '1' में मापी सूची के साथ आवेदन की जाँचोपरान्त अनुषंसा 15 दिनों के भीतर वन प्रमंडल पदा धकारी को भेज देगें। अंचल पदा धकारी एवं वनों के क्षेत्र पदा धकारी की अनुषंसाओं के आधार पर वन प्रमंडल पदा धकारी रैयत के पक्ष में जाँच में सही पाये गए वृक्षों के पातन की स्वीकृति एक सप्ताह में दे सकेगें। इसके साथ ही वन प्रमंडल पदा धकारी रैयत से वहित शुल्क लेकर रैयत का निजी सम्प त चन्ह भी पंजीकृत कर सकेगें। वन प्रमंडल पदा धकारी से अनुमति एवं रैयत का निजी सम्प त चन्ह की सूचना प्राप्ति के पश्चात् वनों के क्षेत्र पदा धकारी ऐसे वृक्षों पर वभागीय सम्प त चन्ह अंचल पदा धकारी द्वारा लगाए गए चन्ह के बगल में अं कत कर देगें तथा यह निरीक्षण करा लेगें क रैयत का निजी सम्प त चन्ह भी उन वृक्षों पर बगल में अं कत हो। इसके पश्चात् वह संबं धत रैयत को वृक्षों के पातन एवं लौ गंग की अनुमति सू चत कर सकेगें।

3. संबं धत रैयत वन क्षेत्र पदा धकारी से ऐसी अनुमति पाने के उपरान्त ऐसे वृक्षों का पातन एवं लौ गंग कर सकेगा तथा लौ गंग से प्राप्त प्रत्येक टुकड़े पर लौग क्रमांक एवं वृक्ष क्रमांक तथा अपना निजी सम्प त चन्ह अं कत कर लम्बाई एवं गोलाई की मापी कराकर सभी टुकड़ों को पातित वृक्ष के समीप ही भू म पर स्टैक कराकर मापी सूची वनों के क्षेत्र पदा धकारी को प्रस्तुत करेगा। पातन के समय रैयत यह सुनिष्चित करेगा क वृक्ष के तना के निचले हिस्से पर लगाये गये सभी सम्प त चन्ह सुर क्षत रहें।

4. उपर्युक्त रीति से मापी सूची प्राप्तोपरान्त वनों के क्षेत्र पदा धकारी मापी सूची में सूचना से निरीक्षणोपरान्त आष्वस्त होकर वन प्रमंडल पदा धकारी को परिवहन अनुज्ञा-पत्र निर्गत करने की अनुशंसा भेज सकेगें, जिसके आधार पर वन पदा धकारी उपर्युक्त परिवहन अनुज्ञा-पत्र निर्गत करने की अनुमति दे सकेगें। तत्पष्चात् वनों के क्षेत्र पदा धकारी से अन्यून पंक्ति के पदा धकारी द्वारा यथा निर्धारित वहित प्रपत्र में परिवहन अनुज्ञा-पत्र निर्गत कया जा सकेगा।

9. ष्षुल्कः- इस नियमावली के अधीन व भन्न उपबंधों के लए प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड या सरकार द्वारा इस नि मत प्रा धकृत वन पदा धकारी द्वारा झारखण्ड गजट में अ धसूचना द्वारा शुल्क की दर निर्धारित की जा सकेगी अथवा पुनरी क्षत की जा सकेगी।

10. दण्डः- इस नियमावली के उपबंधों का उल्लघंन करनेवाला कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा यथा संषो धत भारतीय वन अ धनियम 1927 के अधीन दण्ड का भागी होगा। इस नियमावली के उपबंधों का उल्लंघन के क्रम में जप्त कसी सम्प त्त के अ धकरण या अन्य प्रकार से निबटारा राज्य सरकार द्वारा यथा संषो धत भारतीय वन अ धनियम 1927 के अधीन की जाएगी।

11. इस नियमावली पर व ध वभाग की औपचारिक सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

अनुसूची- ''क''

प्रपत्र-1

झारखण्ड राज्य की सीमा के अन्दर काष्ठ एवं अन्य वन उत्पाद के पारगमन हेतु अनुज्ञा पत्र

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

क्रमांक..... ति थ.....

वन प्रमण्डल, ... वन प्रक्षेत्र

(1) वन उत्पाद के स्वामी का नाम: .....

(2) वन उत्पाद के पारगमन हेतु प्रा धकृत

व्यक्ति का नाम तथा हस्ताक्षर .....

(3) वन उत्पाद का ववरण:

(क) प्रजाति: .....

(ख) प्रकार: .....

(ग) मात्रा: .....

(घ) ववरण (काष्ठ के प्रत्येक टुकड़े/मोटे छोर का माप) .....

(आवश्कतानुसार अलग पृष्ठ संलग्न करें)

(4) संप त्त चन्ह (काष्ठ के लए): .....

(5) प्रस्थान तथा गंतव्य स्थल का ववरण:

(क) ..... (स्थान) से ..... (स्थान) तक

(ख) गंतव्य स्थल का पूर्ण पता: .....

(ग) मार्ग का ववरण: .....

(6) वाहन का प्रकार .....

निबंधन सं0 .....

चालक का नाम ..... हस्ताक्षर .....

(7) अनुज्ञा-पत्र जारी करने की ति थ एवं समय: .....

(8) अनुज्ञा-पत्र जारी करने की ति थ एवं समय: .....

(9) वन प्रमण्डल पदा धकारी अथवा उनके द्वारा प्रा धकृत वन पदा धकारी/वन क्षेत्र पदा धकारी (जो लागू हो) का परिवहन अनुज्ञा पत्र निर्गत करने हेतु जारी आदेष सं 0 ..... दिनांक .....

(10) वभागीय पा संग हथौड़े का चन्ह जो काष्ठ पर अं कत कया गया है:

ति थ:

स्थान:

हस्ताक्षर एवं मुहर .....

नाम: .....

(अनुज्ञा पत्र जारी करने वाले पदा धकारी

का नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर)

नोट: पटरा, जलावन / छलटा आदि पर वभागीय पा संग हैमर लगाने की आवश्कता नहीं होगी।

अनुसूची- ''क''

प्रपत्र-2

झारखण्ड राज्य की सीमा के अन्दर काष्ठ एवं अन्य वन उत्पाद के पारगमन हेतु अनुज्ञा पत्र

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

क्रमांक..... ति थ.....

..... वन प्रमण्डल, ... वन प्रक्षेत्र

(1) वन उत्पाद के स्वामी का नाम: .....

व्यक्ति का नाम तथा हस्ताक्षर .....

(3) वन उत्पाद का ववरण:

(क) प्रजाति: .....

(ख) प्रकार: .....

(ग) मात्रा: .....

(घ) ववरण (काष्ठ के प्रत्येक टुकड़े/मोटे छोर का माप) .....

(आवश्कतानुसार अलग पृष्ठ संलग्न करें)

(4) संप त्त चन्ह (काष्ठ के लए): .....

(5) प्रस्थान तथा गंतव्य स्थल का ववरण:

(क) ..... (स्थान) से ..... (स्थान) तक

(ख) गंतव्य स्थल का पूर्ण पता: .....

(ग) मार्ग का ववरण: .....

(6) वाहन का प्रकार ..... निबंधन सं0 .....

चालक का नाम ..... हस्ताक्षर .....

(7) अनुज्ञा-पत्र जारी करने की ति थ एवं समय: .....

(8) अनुज्ञा-पत्र जारी करने की ति थ एवं समय: .....

(9) वन प्रमण्डल पदा धकारी अथवा उनके द्वारा प्रा धकृत वन पदा धकारी/वन क्षेत्र पदा धकारी (जो लागू हो) का परिवहन अनुज्ञा पत्र निर्गत करने हेतु जारी आदेष सं 0 ..... दिनांक .....

(10) वभागीय पा संग हथौड़े का चन्ह जो काष्ठ पर अं कत कया गया है:

ति थ:

स्थान:

हस्ताक्षर एवं मुहर .....

नाम: .....

(अनुज्ञा पत्र जारी करने वाले पदा धकारी
का नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर)

नोट: पटरा, जलावन / छलटा आदि पर वभागीय पा संग हैमर लगाने की आवश्कता नहीं होगी।

अनुसूची- ''ख''

प्रपत्र-3

अन्य राज्य/राष्ट्र से आयात कये जा रहे काष्ठ तथा वन उत्पाद के परिवहन के लए चेक स्लिप

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

क्रमांक..... ति थ.....

..... अंतर्राजकीय सीमा चेक पोस्ट , ... प्रमण्डल

(1) वन उत्पाद के स्वामी का नाम: .....

(2) अन्य राज्य / राष्ट्र के ट्रांजिट पर मट का ववरण:

(क) पर मट निर्गत करने वाले वन प्रमण्डल तथा राज्य/राष्ट्र का नाम: .....

(ख) परिवहन अनुज्ञा-पत्र सं0 एवं ति थ: .....

(ग) वाहन के प्रकार एवं निबंधन सं0 : .....

(घ) प्रस्थान स्थल: ..... से ..... तक (गंतव्य स्थल)

(ड.) जारी ट्रांजिट पर मट के मान्य रहने की ति थ एवं समय: .....

(3) आयात कये जा रहे वन उत्पाद का ववरण:

(क) वन उत्पाद का प्रकार, प्रजाति एवं मात्रा: .....

(ख) ववरण (काष्ठ के प्रत्येक टुकड़े/मोटे छोर का माप): .....

(आवश्यकतानुसार अलग पृष्ठ संलग्न करें)

(4) वन उत्पाद के पारगमन हेतु प्रा धकृत व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर .....

(5) गंतव्य स्थान का पूरा पता:

(6) मार्ग का ववरण: .....

(7) चालक का नाम ..... हस्ताक्षर .....

ति थ:

स्थान:

हस्ताक्षर एवं मुहर .....

नाम: .....

(चेक स्लिप जारी करने वाले पदा धकारी

का नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर)

अनुसूची - ''ग''

प्रपत्र-4

ग्रामीण क्षेत्र के रैयतों द्वारा काष्ठ एवं अन्य वन उत्पाद के परिवहन अनुज्ञा-पत्र हेतु सम र्पत कया जाने वाला आवेदन पत्र

झारखण्ड सरकार

(1) आवेदक का नाम: .....

(2) आवेदक के पता/पति का नाम एवं पूरा पता:

.....

(3) भू म, जिस पर आवेदित वृक्ष अवस्थित है, का ववरण:

(क) ग्राम: .....

(ख) थाना तथा थाना नं 0 .....

(ग) खाता एवं सर्वे प्लाट सं 0 .....

(घ) लगान रसीद सं 0 .....

(4) आवेदित वृक्षों का ववरण:

क्र0सं0	प्रजाति	वृक्षों की गोलाई (1.37 मी0 / 4.5 फीट की ऊँचाई पर)	अ भयुक्ति

मैं ..... वल्द/पति ..... ग्राम ..... थाना /थाना सं 0 ..... जिला ..... यह घोषणा करता /करती हूँ क उपर्युक्त व र्णत वृक्ष मेरी अपनी निजी रैयती जमीन पर अवस्थित है एवं उक्त वन उत्पाद मेरी सम्पति है जिन्हें मैं ..... (स्थान) से ..... (स्थान) तक निजी उपयोग / वक्रय हेतु परिवहन करना चाहता/चाहती हूँ । संबं धत भू म के लगान रसीद की अ भप्रमा णत छायाप्रति इस आवेदन के साथ संलग्न की जा रही है।

(आवेदक का हस्ताक्षर)

अनु0: यथोक्त।

उपर्युक्त व र्णत सभी सूचनाओं की जाँच हल्का कर्मचारी द्वारा कर ली गई है। उक्त वृक्ष आवेदक के निजी भू म पर अवस्थित हैं तथा उनकी निजी सम्पति है। जिसके पातन की अनुशंसा की जाती है।

(हल्का कर्मचारी का हस्ताक्षर) (मु खया का हस्ताक्षर)

..... ग्राम सभा ..... ग्राम सभा

थाना ..... जिला ..... थाना ..... जिला .....

अनुसूची - ''घ''

प्रपत्र-5

शहरी क्षेत्र के रैयतों द्वारा काष्ठ एवं अन्य वन उत्पाद के परिवहन अनुज्ञा-पत्र हेतु सम र्पत कया जाने वाला आवेदन पत्र

झारखण्ड सरकार

(1) आवेदक का नाम: .....

(2) आवेदक के पता/पति का नाम एवं पूरा पता:

.....

(3) भू म, जिस पर आवेदित वृक्ष अवस्थित है, का ववरण:

(क) नगर निगम / नगर पा लका / अ धसू चत क्षेत्र का नाम: .....

(ख) मोहल्ला / वार्ड सं 0 ः .....

(ग) थाना तथा थाना नं 0 ः .....

(घ) खाता एवं सर्वे प्लाट सं 0 ः .....

(ड.) लगान / सम्प त्त कर रसीद सं 0 ः .....

(4) आवेदित वृक्षों का ववरण:

क्र0सं0	प्रजाति	वृक्षों की गोलाई (1.37 मी0 / 4.5 फीट की ऊँचाई पर)	अ भयुक्ति

मैं ..... वल्द/पति ..... नगर निगम / नगर पा लका / अ धसू चत क्षेत्र ..... मोहल्ला / वार्ड सं0 .....थाना /थाना सं0 ..... जिला ..... यह घोषणा करता /करती हूँ क उपर्युक्त व र्णत वृक्ष मेरी अपनी निजी रैयती जमीन पर अवस्थित है एवं उक्त वन उत्पाद मेरी सम्प त्त है जिन्हें मैं ..... (स्थान) से ..... (स्थान) तक निजी उपयोग / वक्रय हेतु परिवहन करना चाहता/चाहती हूँ । संबं धत भू म के लगान रसीद की अ भप्रमा णत छायाप्रति इस आवेदन के साथ संलग्न की जा रही है।

(आवेदक का हस्ताक्षर)

अनु0: यथोक्त।

उपर्युक्त व र्णत सभी सूचनाओं की जाँच हल्का कर्मचारी द्वारा कर ली गई है। उक्त वृक्ष आवेदक के निजी भू म पर अवस्थित हैं तथा उनकी निजी सम्प त्त है। जिसके पातन की अनुशंसा की जाती है।

(अंचला धकारी का हस्ताक्षर)

अंचल का नाम .....

जिला .....